

[2024] 3 एस सी आर 637:2024 आई. एन. एस. सी. 195

भारतीय स्टेट बैंक

बनाम्

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एवं अन्य

(2024 का विविध आवेदन सं. 486

में

2017 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 880)

साथ

(2024 की अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 138

में

2017 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 880)

और

(2024 की अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 140

में

2018 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 59)

11 मार्च 2024

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, संजीव खन्ना, बी आर गवई,

जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण]

विचार के लिए मुद्दा

यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) द्वारा दायर एक विविध आवेदन से संबंधित है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 फरवरी 2024 के अपने फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। उपरोक्त निर्णय के माध्यम से, अदालत ने एस. बी. आई. को, जो चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड से निपटने के लिए अधिकृत बैंक था, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के चुनाव आयोग (ई. सी. आई.) को योगदानकर्ताओं द्वारा खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और राजनीतिक दलों द्वारा 12 अप्रैल 2019 एवं फैसले की तारीख 6 मार्च 2024 के मध्य निष्क्रिय किया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं-एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-ने इस अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए एस. बी. आई. के खिलाफ इस अदालत की अवमानना के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए एक याचिका दायर की; क्या अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों में एस. बी. आई. को उस जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है जो उसके पास आसानी से उपलब्ध है; साथ ही, क्या एस. बी. आई. समय बढ़ाने की मांग करने में उचित है।

हेडनोट्स

चुनावी बॉन्ड-15 फरवरी 2024 के फैसले में एस. बी. आई. को निर्देश-6 मार्च 2024 तक भारत के निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना: (ए) खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और चुनावी बॉन्ड के मूल्य सहित खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण; (बी) राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया गया प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण जिसमें नकदीकरण की तारीख और चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल है-भारतीय निर्वाचन आयोग

द्वारा जमा की जाने वाली जानकारी को इकट्ठा करना और इसे 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना [पैरा 1-4]

चुनावी बॉन्ड-अदालत के निर्देशों के अनुपालन के लिए समय का विस्तार-भारतीय स्टेट बैंक ने निर्देशों का पालन करने के लिए 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया क्योंकि:एस. बी. आई. द्वारा प्राप्त जानकारी को दो अलग-अलग साइलो में रखा जाता है-एस. बी. आई. के अनुसार, इस न्यायालय के निर्देश के लिए एक उपयुक्त अभ्यास की आवश्यकता होती है-एक विशेष बॉन्ड के संबंध में दाता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के विवरण-खंड 7 (4), चुनावी बॉन्ड योजना-चुनावी बॉन्ड जानकारी का खुलासा तब किया जाएगा जब एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा [पैरा 6-7]

चुनावी बॉन्ड-सूचना का मिलान-एस. बी. आई. द्वारा जमा की गई जानकारी केंद्रीय रूप से डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध नहीं है-दाता विवरण और प्राप्तकर्ता विवरण दो अलग-अलग साइलो में उपलब्ध हैं-प्रत्येक चरण के अंत में, चुनावी बॉन्ड के खरीदारों का विवरण और चुनावी बॉन्ड के मोचन के बारे में जानकारी (एक सीलबंद कवर में संग्रहीत और एस. बी. आई., मुंबई शाखा को भेजी गई)-दो साइलो में जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है-समझने के लिए बड़ी संख्या में डेटा सेट:12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए-कुल 44,434 डेटा सेट [पैरा 8]

चुनावी बॉन्ड-एस. बी. आई. एम. ए. खारिज-चुनावी बॉन्ड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-खरीदारों के विवरण आसानी से उपलब्ध-एक राजनीतिक दल के नकदीकरण के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध-अदालत याचिकाकर्ताओं की अवमानना याचिका में इस स्तर पर अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।

अभिनिर्धारित किया: इस न्यायालय के परिचालन निर्देश ने एस. बी. आई. को निर्णय के पैरा 219 के निर्देश (बी) और निर्देश (सी) में निर्धारित लेनदेन का खुलासा करने का निर्देश दिया-

एस. बी. आई. प्रस्तुत करता है कि दाता विवरण और मोचन विवरण अलग-अलग साइलो में उपलब्ध हैं-इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एस. बी. आई. को वह जानकारी जा इसके साथ आसानी से उपलब्ध है का खुलासा करने की आवश्यकता है। एस.बी.आई. द्वारा प्रकाशित चुनावी बॉन्ड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-'अपने ग्राहक को जानें' दस्तावेज खरीदार द्वारा हर बार चुनावी बॉन्ड खरीदने के समय जमा किए जाने चाहिए, भले ही खरीदार के पास के. वाई. सी. सत्यापित एस. बी. आई. खाता हो-दस्तावेजों का एक सेट केवल एक चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है-जिन योगदानकर्ताओं के पास एस. बी. आई. खाता है और साथ ही जिनके पास चुनावी बॉन्ड आवेदन, के. वाई. सी. दस्तावेज और भुगतान का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं है- चुनावी बॉन्ड का विवरण जो खरीदे गए हैं और जिन्हें इस अदालत द्वारा प्रकट करने का निर्देश दिया गया है-सहजता से उपलब्ध है-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में कहा गया है कि प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड मोचन के लिए केवल एक चालू खाता खोल सकता है- एक राजनीतिक दल के चुनावी बॉन्ड के नकरीकरण के बारे में जानकारी इन शाखों में संग्रहित होगी जिस पर स्पष्टतया पहुँच हो ए.डी.आर. समर्पित करता है कि चुनावी बांड पर मुद्रित अनुठी संख्या के कारण, जो जानकारी न्यायालय द्वारा खुलासा करने का निर्देश था, वह जानकारी एस.बी.आई. द्वारा आसानी से खुलासा किया जा सकता है- एस.बी.आई. आवेदन पर्याप्त इंगित करता है कि जिस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश इस न्यायालय द्वारा दिया गया था, वह आसानी से उपलब्ध है-एस.बी.आई. द्वारा दायर विविध आवेदन में 30 जून, 2024 तक रद्द किए गए चुनावी बाँड के क्रय एवं विमोचन के विस्तार की मांग की गई थी- एस.बी.आई. ने 12 मार्च 2024 को कार्यावधि के पश्चात विवरण के खुलासा का निर्देश दिया- भारतीय निर्वाचन आयोग को 15 मार्च 2024 के संध्या 5 बजे के पश्चात नही सुचना को संग्रहित करना है एवं विवरण को इसके कार्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित करना है- एस.बी.आई. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शपथ-पत्र अनुपालन करने पर

दायर किया जाना है- न्यायालय इस चरण में अवमानना क्षेत्राधिकार का अनुप्रयोग करने का इरादा इस विचार को ध्यान में रखते हुए नहीं चाहता है कि जो आवेदन समय-विस्तार के लिए समर्पित करना था एस.बी.आई. सूचना पर रखा- इस न्यायालय द्वारा निर्धारित इसके निर्णय दिनांकित 15 फरवरी 2024 द्वारा इंगित समय-सीमा तक, यदि एस.बी.आई. इसके न्यायालय निर्देशों की अवज्ञा करता है, तो न्यायालय इसके निर्णय का जानबुझकर अवज्ञा करने के लिए एस.बी.आई. के विरुद्ध आगे बहने के वास्ते प्रवृत्त होगा। [कंडिकाएँ 9-18]

मामला कानून उद्धृत किया गया

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य
[2024] 2 एससीआर 420:2024 आई. एन. एस. सी 1113

मुख्य शब्दों की सूची

चुनावी बॉन्ड योजना, 2018; भारतीय स्टेट बैंक; भारतीय चुनाव आयोग; मिलान; केवाईसी; प्रकटीकरण; विस्तार; दाता; मोचन; अवमानना

से उत्पन्न मामला

मूल दीवानी क्षेत्राधिकार: 2017 की रिट याचिका (दीवानी) सं. 880 2024 का विविध आवेदन सं.486 में

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के रिट याचिका (दीवानी) सं. 880 में दिनांकित 15.02.2024 के निर्णय एवं आदेश से

के साथ

2017 की रिट याचिका (दीवानी) सं. 880 में 2024 की अवमानना याचिका (दीवानी) सं.138 और 2018 की रिट याचिका (दीवानी) सं. 59 में 2024 की अवमानना याचिका (दीवानी) सं. 140

दलों के लिए उपस्थिति

तुषार मेहता, एस. जी., हरीश साल्वे, आर. बालासुब्रमण्यम, कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, संजय कपूर, सुश्री दिव्या सिंह पुंडीर, देवेश दुबे, सुश्री महिमा कपूर, सुश्री मानसी कपूर, श्रीमती शुभा कपूर, अर्जुन भाटिया, सूर्य प्रकाश, सुश्री ईशा विरमानी, प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, प्रणव सचदेवा, सुश्री काजल गिरी, सुश्री शिवानी कपूर, कमल किशोर, शादन फरासत, हर्षित आनंद, अभिषेक बब्बर, सुश्री हृषिका जैन, सुश्री नताशा माहेश्वरी, सुश्री मेरगांका कुकरेजा, अमन नकवी, सुश्री सीमा बेंगनी, श्याम गोपाल, सुश्री श्रद्धा देशमुख, चिन्मायी चंद्र, कानू अग्रवाल, रजत नायर, रमन यादव, चितवन सिंहल, अभिषेक कु. पांडे, कार्तिकेय अग्रवाल, कुकेश सिंह, अमेयकिरामा थानवी, पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. दिनांक 15 फरवरी, 2024 के निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने चुनावी बाँड योजना एवं 2017 के वित्त अधिनियम में प्रावधान, जो 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं 1961 का आयकर अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि राजनीतिक पार्टियों के वित्तपोषण के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के सूचना अधिकार का उल्लंघन करता है। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों में जो संशोधन पेश किए गए थे, जिसमें सामूहिक इकाइयों द्वारा राजनीतिक दलों को

असीमित धन की अनुमति दी गई थी, उन्हें मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।

2. संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए, इस अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक जो चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड से निपटने के लिए अधिकृत बैंक था, को 12 अप्रैल 2019 (जिस तारीख को इस अदालत द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को योगदान का विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया गया था) से 15 फरवरी 2024 (निर्णय की तारीख) योगदानकर्ता के बीच द्वारा खरीदे गए चुनावी बॉन्ड एवं राजनीतिक दलों द्वारा विमोचित का विवरण समर्पित करना था।

3. इस अदालत ने एस. बी. आई. को 6 मार्च 2024 तक निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

(ए) खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण जिसमें खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल है; और

(बी) राजनीतिक दलों द्वारा छुड़ाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण जिसमें नकदीकरण की तारीख और चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल है।

4. ई.सी.आई. को निर्देश दिया गया था कि वह एस. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी को एकत्रित करे और इसे 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इस न्यायालय के निर्देश नीचे दिए गए हैं:

“219. ऊपर की गई हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

ए. जारीकर्ता बैंक इसके साथ चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर देगा

- बी. एस. बी. आई. इस न्यायालय के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत निर्वाचन आयोग को समर्पित करेगा। विवरण में प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तिथि, बॉन्ड के खरीददार का नाम एवं खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल होगा।
- सी. एस. बी. आई. उन राजनीतिक दलों का विवरण समर्पित करेगा जिन्होंने इस न्यायालय के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया है। एस. बी. आई. को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करना चाहिए जिसमें भुनाने की तारीख और चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल होगा।
- डी. एस. बी. आई. इस फैसले की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर यानी 6 मार्च 2024 तक उपरोक्त जानकारी ई. सी. आई. को समर्पित करेगा।
- ई. सी. आई. सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यानी 13 मार्च 2024 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एस. बी. आई. द्वारा साझा की गई जानकारी को प्रकाशित करेगा; और
- एफ. चुनावी बॉन्ड जो पंद्रह दिनों की वैधता अवधि के भीतर हैं, लेकिन जिन्हें राजनीतिक दल द्वारा अभी तक भुनाया नहीं गया है, उन्हें राजनीतिक दल या खरीदार द्वारा इस आधार पर वापस किया जाएगा कि जारी करने वाले बैंक को बॉन्ड किसके कब्जे में है। जारीकर्ता बैंक, वैध बांड की वापसी पर, खरीदार के खाते में राशि वापस करेगा। .
5. एस. बी. आई. ने समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले इस अदालत के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया जिसमें निर्देशों का पालन करने के लिए 30 जून

2024 तक समय बढ़ाने की मांग की गई। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं-एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-ने इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए एस. बी. आई. के खिलाफ इस न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए एक याचिका दायर की।

6. एस. बी. आई. द्वारा आवेदन के समर्थन में, हमने वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे को सुना है। श्री साल्वे ने कहा कि एस. बी. आई. द्वारा प्राप्त जानकारी को दो अलग-अलग स्थानों में रखा गया था और चुनावी बॉन्ड योजना के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे अत्यंत गोपनीयता के साथ रखा गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने समर्पित किया कि दो अलग-अलग साइलो में उपलब्ध जानकारी के प्रकटीकरण में कोई कठिनाई नहीं है जो परिचालन निर्देशों के (बी) और (सी) में संदर्भित हैं। वकील ने कहा कि इस प्रक्रिया को तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जा सकता है। हालाँकि, यह समर्पित किया जाता है कि एस. बी. आई. की कठिनाई तब उत्पन्न हुई जब उसने इस न्यायालय के निर्देश का अर्थ लगाया कि उसे राजनीतिक दलों द्वारा नकदीकरण से संबंधित संबंधित विवरणों के साथ दाता और बांड विवरणों का मिलान करने की आवश्यकता है।
7. एस. बी. आई. की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करते समय, इस स्तर पर योजना के कुछ प्रमुख पहलुओं का संदर्भ इस चरण में सुव्यवस्थित होगा। चुनावी बॉन्ड योजना के खंड 7 (4) में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और इसका खुलासा केवल तभी किया जाएगा जब किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा या किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपराध दर्ज करने पर। इस प्रकार, चुनावी बॉन्ड

योजना के प्रावधानों के संदर्भ में, एस. बी. आई. को अदालत द्वारा मांगे जाने पर जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एस. बी. आई. द्वारा समय बढ़ाने की मांग करना उचित है।

8. एस. बी. आई. ने इस आधार पर समय बढ़ाने की मांग की है कि "चुनावी बॉन्ड को डिकोड करने और दानदाता को दान से मिलान करने" की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस तर्क की पुष्टि करने के लिए, एस. बी. आई. ने कहा है:

(ए) सूचना डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध नहीं है: खंड 7.1.2 चुनावी बॉन्ड की बिक्री और मोचन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार "केवाईसी और अन्य विवरणों सहित बॉन्ड खरीदार का कोई विवरण कोर बैंकिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किया जाएगा। " इस प्रकार, बॉन्ड की खरीद का विवरण केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(बी) दाता विवरण और प्राप्तकर्ता विवरण दो अलग-अलग साइलो में उपलब्ध हैं: चुनावी बॉन्ड के खरीदारों का विवरण निर्दिष्ट शाखा में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। ये सीलबंद कवर चुनावी बॉन्ड जारी करने के प्रत्येक चरण के अंत में मुंबई में एस. बी. आई. की मुख्य शाखा में जमा किए गए थे। चुनावी बॉन्ड (यानी मूल बॉन्ड और भुगतान पर्ची) के मोचन की जानकारी को एक सीलबंद लिफाफे में संग्रहीत किया गया था और इसे एस. बी. आई., मुंबई शाखा को भेजा गया था।

(सी) दोनों साइलो में जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है: खरीद पर जानकारी का मिलान एवं चुनावी बॉन्ड का विमोचन एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी क्योंकि दाता की जानकारी और मोचन जानकारी को दो अलग-

अलग साइलो में रखा जाता है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं; और (डी) समझने के लिए बड़ी संख्या में डेटा सेट होते हैं: 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए थे। यह संचयी रूप से 44,434 डेटा सेट तक जोड़ देगा क्योंकि जानकारी के दो साइलो हैं। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में डेटा-सेट होने के कारण इस जानकारी का संकलन एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी।

9. एस. बी. आई. को प्रस्तुत करने का सार यह है कि यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान करना कि किस राजनीतिक दल में किसका योगदान है, एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जानकारी को दो अलग-अलग साइलो में रखा जाता है। इस न्यायालय के कार्यकारी निर्देशों ने एस. बी. आई. को ऊपर दिए गए निर्देश (बी) और निर्देश (सी) में निर्धारित लेनदेन का खुलासा करने का निर्देश दिया। एस. बी. आई. अपने आवेदन में ही समर्पित करता है कि दाता विवरण और मोचन विवरण उपलब्ध हैं, हालांकि अलग-अलग साइलो में। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में एस. बी. आई. को उस जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है जो उसके पास आसानी से उपलब्ध है।
10. इस स्तर पर, एस. बी. आई. द्वारा प्रकाशित चुनावी बॉन्ड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कहा गया है कि 'अपने ग्राहक को जानें' दस्तावेज खरीदार द्वारा हर बार चुनावी बॉन्ड खरीदने पर जमा किए जाने चाहिए, इस ध्यान के बिना कि खरीदार के पास के. वाई. सी. सत्यापित एस. बी. आई. खाता है अथवा नहीं यह कि, दस्तावेजों के एक सेट (चुनावी बॉन्ड आवेदन पत्र, केवाईसी दस्तावेज और भुगतान पर्ची) का उपयोग केवल एक चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए किया जा सकता है। जिन योगदानकर्ताओं के पास एस. बी. आई. खाता है और

जिनके पास चुनावी बॉन्ड आवेदन, के. वाई. सी. दस्तावेज और एन. ई. एफ. टी., चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जिन चुनावी बॉन्डों को खरीदा गया है और जिन्हें इस न्यायालय द्वारा प्रकट करने का निर्देश दिया गया है, उनका विवरण आसानी से उपलब्ध है।

11. इसी तरह, बॉन्ड के विमोचन के संबंध में एस. बी. आई. द्वारा प्रकाशित चुनावी बॉन्ड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में कहा गया है कि प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के विमोचन के लिए केवल एक चालू खाता खोल सकता है। चालू खाता राजनीतिक दल द्वारा पूरे देश में केवल उनतीस निर्दिष्ट शाखाओं में खोला जा सकता था। इस प्रकार, किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनावी बॉन्ड को भुनाने के बारे में जानकारी केवल इन शाखाओं में संग्रहीत की जाएगी जो स्पष्ट रूप से सुलभ होगी। अधिकृत शाखाओं को पे-इन-स्लिप और अन्य विवरण मुख्य शाखा को जमा करने होंगे। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि इस प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था।
12. समय बढ़ाने के लिए एस. बी. आई. द्वारा दायर आवेदन के साथ, ए. डी. आर. ने एक अवमानना याचिका दायर की है जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि इस अदालत द्वारा जिस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, उसे एस. बी. आई. द्वारा आसानी से प्रकट किया जा सकता है क्योंकि चुनावी बॉन्ड पर अनोखी संख्या छपी होती है। इस बात की परवाह किए बिना कि क्या विशिष्ट पहचान संख्या जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है, विवरण के प्रकटीकरण को सक्षम करेगी, आवेदन में एस.बी.आई.का प्रस्तुतिकरण पर्याप्त रूप से इंगित करता है कि वह जानकारी जिसे इस न्यायालय द्वारा प्रकट करने का निर्देश दिया गया है, आसानी से उपलब्ध है।

13. चर्चा को ध्यान में रखते हुए, एस. बी. आई. द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद और मोचन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले विविध आवेदन को 30 जून 2024 तक खारिज कर दिया जाता है। एस. बी. आई. को 12 मार्च 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।
14. ई. सी. आई. जानकारी को संकलित करेगा और 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करेगा।
15. संविधान पीठ के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ईसीआई ने इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में अपने बयान दायर किए थे, जिन्हें अदालत की हिरासत में रखा गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किए गए बयानों की प्रतियां निर्वाचन आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी। ई. सी. आई. अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अंतरिम आदेशों के अनुसरण में इस न्यायालय को दी गई जानकारी का विवरण तुरंत प्रकाशित करेगा।
16. एस. बी. आई. ऊपर जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन पर अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का एक शपथ पत्र दाखिल करेगा। हम समय बढ़ाने के लिए समर्पित किए गए आवेदन को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, हम एस. बी. आई. को नोटिस पर रखते हैं कि यदि एस. बी. आई. इस आदेश में दर्शाई गई समयसीमा के अनुसार 15 फरवरी 2024 के अपने फैसले में निर्धारित इस न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो यह न्यायालय निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक होगा।
17. समय बढ़ाने के लिए विविध आवेदन तदनुसार खारिज हो जाएगा। अवमानना याचिकाओं का इस स्तर पर उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:-

वाद का परिणाम:-

हर्षित आनंद, अवैतनिक सहयोगी संपादक

एस. बी. आई. का विविध आवेदन खारिज कर दिया।

(शादान फर्रासत, अधिवक्ता द्वारा सत्यपित)

अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया गया।

5 “के वाई सी” (अपने ग्राहक को जानें)

6 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रश्न सं. 16 मेरे पास भारतीय स्टेट बैंक का बैंक खाता है, क्या मुझे अभी भी के वाई सी दस्तावेजों को पुनः जमा करने की आवश्यकता है? हाँ के वाई सी मानदंड इस बात की परवाह किए बगैर भी अनुप्रयोग होंगे कि क्या आवेदन एक एस.बी.आई. खाता धारक है या गैर-एस.बी.आई. खाता धारक।

7 एफ.ए.क्यू. प्रश्न सं. 45 क्या मैं एक चुनावी बंध आवेदन प्रपत्र के साथ एक से अधिक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं? नहीं एकल सेट दस्तावेजों अर्थात् चुनावी बंध आवेदन प्रपत्र, के वाई सी दस्तावेजों, नागरिक दस्तावेजों एवं चुनावी बंध के क्रय हेतु भुगतान-पर्ची पर दाता मात्र एक उपकरण का अनुप्रयोग कर सकता है। यदि दाता किसी एक अन्य उपकरण में अनुप्रयोग हेतु इच्छित है, तो उसे दस्तावेजों का एक और सेट, यानि चुनावी बंध आवेदन प्रपत्र, के वाई सी दस्तावेजों, नागरिक दस्तावेजों एवं प्राधिकृत एस बी आई शाखा में भुगतान-पर्ची जमा करना होगा।

8 एफ ए क्यू प्रश्न सं.19: मेरा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में खाता नहीं है। मैं चुनावी बंध कैसे क्रय कर सकता हूँ? एक क्रेता जिसका भारतीय स्टेट बैंक में खाता नहीं है, एक चेक। दर्शनी-हुंडी जो प्राधिकृत एस बी आई बैंक शाखा के पक्ष में काटा गया हो एवं स्थानीय निकासी गृह में भुगतेय हो के द्वारा एक चुनावी बंध क्रय कर सकता है।

शामिल कदम:

- i. क्रेता भुगतान-पर्ची, नागरिक एवं के वाई सी दस्तावेजों एवं प्राधिकृत एस बी आई शाखा का चेक। दर्शनी-हुंडी के साथ चुनावी बंध आवेदन प्रपत्र जमा करता है। योजना के समापन के कम-से-कम तीन कार्यदिवस पूर्व उसे जमा करना अनिवार्य है, ताकि प्राधिकृत एस बी आई शाखा के पास चुनावी बंध जारी करने हेतु पूर्ण कोष उपलब्ध हो। दर्शनी-हुंडी द्वारा भुगतान के

मामले में, दर्शनी-हुंडी जारी करने वाली शाखा से निर्धारित प्रपत्र पर एक पुष्टिकरण पत्र भी प्रदान करना चाहिए।

- ii चेक/दर्शनी-हुंडी भारतीय स्टेट बैंक की चुनाव बंध योजना-2018 खाता के पक्ष में होना चाहिए।
- iii एक बार नागरिकता एवं केवाईसी दस्तावेज के सत्यापन पर, उपकरण निकासी में भेज दिए जाएंगे। भुगतान-पर्ची का फटा हुआ भाग आवेदक को सौंपे जाएंगे। तीसरे कार्यदिवस पर क्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान-पर्ची के फटे हुए भाग के साथ शाखा से पावती के विरुद्ध चुनावी बंध-संग्रह करने की अनिवार्यता है।

9 एफ ए क्यू प्रश्न सं. 4 चुनावी बंध के विमोचन हेतु, क्या एक राजनीतिक दल किसी बैंक में चालू खाता वर्तमान में मात्र 4 प्राधिकृत एस बी आई शाखाओं जो निम्न हैं, में खोले जा सकते हैं:

- (i) चेन्नई मुख्य शाखा (00800): 84, राजाजी सलाई, चेन्नई-60000/-
- (ii) कोलकाता मुख्य शाखा (00001): समृद्धि भवन, 1, स्टैंड रोड, कोलकाता-70000
- (iii) मुंबई मुख्य शाखा(00300): होरनिमन सर्किल फोट, मुंबई-400001
- (iv) नई दिल्ली मुख्य शाखा(00691): संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

यह बाद में 29 शाखाओं तक अद्धतन किया गया।